न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 03/2018

दायर दिनांक : 01.02.2018

आदेश दिनांक : 07.11.2019

श्री भंवरलाल पिता रूपाजी कालबेलिया आयु 62 वर्ष निवासी महासतियों की मादडी तहसील व जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, एवं अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द
4. पी.डी.एन.एच. औथौरिटी भीलवाडा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 3(जी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री महिपालसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 03
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने आराजी नं0 1233/3 के उपर रिहायशी मकान बना रखा है जो जमीन गुर्जर समाज के व्यक्तियों के खाते मे दर्ज है और गुर्जरों ने ही उसे मकान बनाने के लिए जमीन दी थी। नेशनल हाइवे नं0 758 के निर्माण के वक्त उक्त आराजी के रकबे मे से 0.2960 हैक्टर भूमि अवाप्त की गयी जिससे वैल्यूवेशन रिपोर्ट बनाई गयी जिसमें प्रार्थी भवंरलाल के मकान सरंचना भी दर्ज है। जिसकी प्रमाणित प्रति व अन्य दस्तावेज श्रीमान सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द के यहां प्रस्तुत किये है। उक्त मकान गुर्जर समाज की सहमति से प्रार्थी द्वारा बनाया गया है। सहमति पत्र को स्टाम्प पर नोटरी करवा भूमि अवाप्ति के समक्ष पेश कर दिया है। पर वहां से मुझे मुआवजा राशि नहीं दी जा रही है। मै मेरे मकान की संरचना मे लगी लागत को लेने के लिए तैयार हुँ। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मकान का मुआवजा दिलवाया जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि उक्त भूमि प्रार्थी के खाते मे न होकर समस्त गुजरान के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के स्वामित्व के वैद्य दस्तावेज अथवा प्रमाण पेश नहीं किये है। गुर्जर समाज के अधिकृत व्यक्ति द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी है। सहमति पत्र पंजीबद्ध नहीं है। अतः उक्त सहमति पत्र को विधिक मान्यता नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 03 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया। कि अवाप्त की गयी भूमि पर निर्माण संरचना बाबत पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी ही मुआवजा राशि देने हेतु सक्षम है। इस हेतु निर्णय लेने हेतु भी सक्षम है और अधिकृत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की अवार्ड पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार समस्त गुजरान के नाम पर बहेसियत खातेदार दर्ज हैं प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के अपने स्वामित्व होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये हैं। निर्माण के संबंध में भी उपलब्ध मुल्यांकन रिपोर्टानुसार मौके पर मकान निर्मित होना बताया है लेकिन मालिक समस्त गुजरान अंकित है तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में उक्त संरचना भंवरलाल प्रार्थी की होना अवश्य दर्शाया है ऐसी स्थिति में उक्त मुआवजा राशि प्रार्थी भंवरलाल व समस्त गुजरान में से कौन प्राप्त करने का अधिकारी है इसका निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना शेष हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अवार्ड के संबंध में विपक्षी सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति, राजसमन्द को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवार्ड के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, महासतियों की मादडी एवं तहसीलदार कुंवारिया की संयुक्त कमेटी से मौके एवं रेकार्ड की जॉच रिपोर्ट प्राप्त कर और यदि आवश्यकता हो तो ग्राम सभा के माध्यम से हितबद्ध व्यक्तियों को नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान करने की कार्यवाही अमल में लाई जावें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवार्ड के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, महासतियों की मादडी एवं तहसीलदार कुंवारिया की संयुक्त कमेटी से मौके एवं रेकार्ड की जॉच रिपोर्ट प्राप्त कर और यदि आवश्यकता हो तो ग्राम सभा के माध्यम से हितबद्ध व्यक्तियों को नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान करने की कार्यवाही अमल में लाई जावें। आदेश की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद